न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 227/2019 दायर दिनाँक 25.09.2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. उम्मेद सिंह पुत्र मांगू सिंह उम्र 42 वर्ष 2. शिव सिंह पुत्र मांगू सिंह उम्र 30 वर्ष 3. प्रेम कंवर पत्नि मांगू सिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी आकोदा, 4. तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. धन सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत, निवासी आकोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर,(राज)।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री इस्लामुदीन वकील वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **03.09.2021**

वाके ग्राम आकोदा पटवार हल्का आकोदा तहसील डीडवाना में खसरा नम्बर 90 रकबा 27 बीघा 12 की भूमि का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक 19.03.2020 को तहसीलदार डीडवाना को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार डीडवाना द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर पक्षकारान् सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार डीडवाना सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार डीडवाना के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद आकोदा पटवार हल्का आकोदा तहसील डीडवाना में खसरा नम्बर 90 रकबा 27 बीघा 12 भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बटवारा कर ... के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.09.2021** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **227 / 2019** दायर दिनाँक **25.09.2019**

वादीगण		**प्रतिवादीगण**
1. उम्मेद सिंह पुत्र मांगू सिंह उम्र 42 वर्ष 2. शिव सिंह पुत्र मांगू सिंह उम्र 30 वर्ष 3. प्रेम कंवर पत्नि मांगू सिंह उम्र 60 वर्ष समस्त जाति राजपूत निवासी आकोदा, 4. तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. धन सिंह पुत्र रामचन्द्र सिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत, निवासी आकोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज.। 2. तहसीलदार डीडवाना जिला–नागौर,(राज)।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक **03.09.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री इस्लामुदीन वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद आकोदा पटवार हल्का आकोदा तहसील डीडवाना में खसरा नम्बर 90 रकबा 27 बीघा की भूमि का "बाईमिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 387 दिनाँक 09.09.2020 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–...............
.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.09.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 13:34:55 IST
Reason: SelfAttested

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner